वार्ड क्रमांक 7 में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों के किनारे संचालित हो रही हैं दुकानें

खुले में बिक रहा मांस, आदेशों का उल्लंघन

कोतमा नवभारत 2 नवंबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के सख्त आदेशों के बावजूद, अनूपपुर जिले के कोतमा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 में इन आदेशों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। यहां पर मांस की दुकानें खुले में संचालित की जा रही हैं। वार्ड नं 7 के सार्वजनिक स्थानों और सड़कों के किनारे मांस को बिना किसी उचित आवरण के बेचा जा रहा है। खुले में मांस की बिक्री से न केवल गंदगी फैलती है, बल्कि खाद्य सुरक्षा मानकों का भी उल्लंघन होता है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार, मांस का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता और उचित उपकरणों का उपयोग करना अनिवार्य है।

नगरीय निकायों को विशेष अभियान चलाने के दिए थे निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यभार संभालते ही, दिसंबर 2023 में ही खुले में मांस-मछली की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने और नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। स्थानीय नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने में विफल क्यों रहा है? क्या यह कार्रवाई में ढिलाई है या किसी तरह का संरक्षण दिया जा रहा है?

जनता में आक्रोश, धार्मिक भावनाएं आहत

क्षेत्र के निवासियों में इस खुले उल्लंघन को लेकर गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि खुले में मांस की दुकानदारी से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। साथ ही, गंदगी और बदबू के कारण आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका और प्रशासन से की है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

उचित कदम उठाने की मांग

इस मामले में कोतमा नगर पालिका और जिला प्रशासन तुरंत संज्ञान ले। मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं होने की जांच की जानी चाहिए और वार्ड 7 में खुले में बिक रहे मांस की दुकानों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम-1956 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

टायर फटने से पलटा डीजल से भरा टैंकर

भोलगढ़ के पास नेशनल हाईवे 43 की घटना

अनूपपुर नवभारत 2 नवंबर। शनिवार की रात करीब 8 बजे नेशनल हाईवे 43 शहडोल से कोतमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम पसला के पहले कोतमा की ओर जा रहे डीजल से भरा टैंकर एमपी 4 जीबी 0227 के अचानक टायर फटने से पलट गया और टैंकर में भरा डीजल बड़ी मात्रा में सड़क पर बहने लगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे नागरिक ने जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान को दी। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, जिनके साथ एसडीओपी सुमित केरकट्टा, टीआई कोतवाली अरविन्द जैन एवं थाना कोतवाली तथा थाना यातायात के पुलिस बल की तत्परता पूर्वक कार्यवाही से बड़ी दुर्घटना टल गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तत्काल दो फायर ब्रिगेड एवं दो हायड्रा क्रेन मौके पर पहुंचाई गई और सावधानीपूर्वक डीजल के टैंकर को खड़ाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

ड्रायवर और क्लीनर ने टैंकर से कूदकर जान बचाई

टैंकर के चालक चन्द्रभान ठाकुर द्वारा बताया गया कि वह टैंकर को जबलपुर डिपो से लेकर कोतमा जा रहा था, जो ग्राम भोलगढ़ के पास नेशनल हाईवे पर अचानक दो टायर फटने से पलट गया। ड्रायवर और क्लीनर ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई। टैंकर से तेजी से बड़ी मात्रा में डीजल सड़क पर बहने लगा, जिससे आवागमन बाधित हुआ।

एक नजर में

कार ने किसान को कुचला

जबलपुर। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत पुरवा झण्डा चौक कांजी हाउस के पास तेज रफ्तार कार ने एक किसान को कुचल दिया। हादसे में किसान को गंभीर चोटें आ गई जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक दिनेश सिंह सेंगर 45 वर्ष निवासी धन्वंतरी नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मूलत: वार्ड नं0 12 शहपुरा का रहने वाला है एवं किसानी का कार्य शहपुरा में करता है । शुक्रवार को धनवतरीनगर से अपने दोस्त के यहां मदन महल बैठने अपनी स्कूटी से अकेले जा रहा था रात लगभग 08.35 बजे पुरवा झण्डा चौक कांजी हाउस के पास पहुंचे , तभी पीछे से आ रही काले रंग की किया कंपनी की कार का चालक तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाकर आया और टक्कर मार दिया, जिससे वह स्कूटी सहित रोड पर गिर गया, उसे दाहिने हाथ कलाई, कंधे में, चेहरे, एवं दाहिने पैर में चोट आई है, कार चालक भाग गया वह कार का नम्बर नहीं देख पाया है।

दोषियों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। दमोह जिले में हाल ही में एक विशेष समुदाय द्वारा की गई अमानवीय गौ-हत्या की घटना ने समूचे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस हृदयविदारक घटना के विरोध में जबलपुर कलेक्टर कार्यालय परिसर में गौ-सेवकों, धर्मप्रेमी नागरिकों, अधिवक्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक शांतिपूर्ण विरोध एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम का नेतृत्व एडवोकेट अभिषेक उपाध्याय एवं एडवोकेट हर्ष सोनी ने किया। इस दौरान ज्ञापन सौंपकर माननीय मुख्यमंत्री से मांग की गई कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों के विरुद्ध शीघ्र एवं कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सख्त नीतिगत कदम उठाए जाएं। इस अवसर पर एड. अभिषेक उपाध्याय , हर्ष सोनी , सागर बडगैया ,सत्येंद्र पांडे ,अभिषेक कुशवाहा सहित अन्य उपस्थित रहे।

शराब के लिए पिता-पुत्र को मारी चाकू

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत पार्वती कॉलोनी हनुमान मंदिर के सामने बदमाश ने पिता-पुत्र पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रदीप श्रीवास्तव 44 वर्ष निवासी महराजपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि काम से बेटे कृष्णा श्रीवास्तव के साथ जा रहा था पार्वती कालोनी हनुमान मंदिर के सामने पहुॅचा तभी अपनी गाड़ी से गुल्लू उर्फ रितिक उपाध्याय आकर विवाद करते हुये शराब पीने के लिये 500 रूपये मांगने लगा, पैसे देने से मना करने पर हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगा, उसका बेटा कृष्णा बीचबचाव करने लगा तो गुल्लू उर्फ रितिक ने चाकू से हमलाकर उसे एवं कृष्णा को चोट पहुंचा दी। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया।

युवक की संदिग्ध मौत छानबीन में जुटी पुलिस

जबलपुर। माढ़ोताल थाना अंतर्गत ग्रीन सिटी पारस परिसर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह लगभग 6 बजे ग्रीन सिटी पारस परिसर में अभिषेक कुमार मिश्रा पिता गोविन्द प्रसाद मिश्रा 18 वर्ष निवासी ग्राम दुरा थाना मनंगवा जिला रीवा को बेहोशी हालत में उपचार के लिए नीलेश कुमार साहू द्वारा मेडिकल कॉलेज लाया गया था अभिषेक कुमार मिश्रा को डाक्टर ने चैक कर मृत घोषित कर दिया। मौत कैसे हुई इसका पता नहीं चल सका पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

शिकार की कोशिश कर रहे 5 आरोपी गिरफ्तार

बिजुरी वन परिक्षेत्र के थानगांव क्षेत्र की घटना

अनूपपुर नवभारत 2 नवंबर। बिजुरी वन परिक्षेत्र के थानगांव क्षेत्र में वन्यजीवों के अवैध शिकार की कोशिश में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। शिकार में प्रयोग की गई सामग्री को जब्त कर लिया गया हैं।

वन परिक्षेत्राधिकारी बिजुरी पवन कुमार ताम्रकार ने बताया कि थानगांव बीट के डोंगरीटोला गांव में जंगल के बीच जीआई तार के माध्यम से वन्यजीवों के शिकार के लिए जाल बिछाए जाने की सूचना मिली थी। जो जाल गांव के ट्रांसफॉर्मर से लेकर वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर.एफ.54 के मुनारा क्रमांक 74 से होते हुए गुप्ता प्रसाद कोल के खेत तक फैलाया गया था। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। डांग स्कॉड शहडोल और स्थानीय सूत्रों की मदद से पांच आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिनसे जीआई तार में लकड़ी की खूंटी और कांच की बोतलें बांधकर वन्य प्राणियों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे।

पहले भी कर चुके हैं शिकार की कोशिश

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शुभ सिंह उर्फ लल्ला, बुद्धसेन सिंह उर्फ भोलू दोनों निवासी डोंगरीटोला,विजेंद्र सिंह, महादेव सिंह उर्फ बिट्टू और संतोष सिंह सभी निवासी खोचापार शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले भी आरोपियों ने जीआई तार का जाल बिछाकर बिजली करंट के माध्यम से वन्यप्राणियों के शिकार की कोशिश की थी।

खबरें निष्पक्ष, सत्य और जनहित में हों : कलेक्टर

राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद का सम्मान समारोह आयोजित

अनूपपुर नवभारत 2 नवंबर। राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद अनूपपुर द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में आज कलेक्टर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और पत्रकारों को समाज का मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि 'पत्रकार केवल खबर नहीं लिखता, बल्कि समाज की सोच और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है।

कार्यक्रम में परिषद के सदस्यों ने कलेक्टर का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। मंच पर वरिष्ठ पत्रकारों सहित संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी विश्वसनीयता तभी बनी रहती है जब खबरें निष्पक्ष, सत्य और जनहित में हों। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक पत्रकारिता का स्वागत करता है। सकारात्मक संवाद और रचनात्मक सुझावों से शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव है।

ग्रामीण अंचलों में पत्रकारों की भूमिका अहम

कार्यक्रम में कलेक्टर ने पत्रकार परिषद के पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन किया और संगठन द्वारा सामाजिक एवं जनहित के मुद्दों पर की जा रही पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों तक सच्ची खबर पहुंचाने में स्थानीय पत्रकारों की भूमिका अहम है।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले 83 चालकों पर शिकंजा

नवभारत, जबलपुर। सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के दिशा-निर्देशों पर 31 अक्टूबर की रात्रि को विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। जानकारी के अनुसार चैकिंग प्वाइंट पर 83 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। इन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया गया और संबंधित वाहनों को जप्त कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने कहा कि यह अभियान समय-समय पर जारी रहेगा ताकि सड़कों पर दुर्घटनाओं की घटनाओं में कमी लाई जा सके और जनता सुरक्षित

कार्यक्रम | मध्य प्रदेश स्थापना दिवस एवं देवउठनी एकादशी के अवसर पर अमरकंटक में हुआ महाआरती का आयोजन

नर्मदा जहां-जहां से हुई प्रवाहित वहां समृद्धि की कमी नहीं : राज्यमंत्री

अनूपपुर नवभारत 2 नवंबर। मां नर्मदा की प्रदेश में असीम कृपा है और जहां-जहां मां नर्मदा प्रवाहित हुई हैं, वहां धन, धान्य और समृद्धि की कमी नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। डबल इंजन की सरकार की नीति और नियत दोनों ही पूर्णत: पारदर्शी हैं।

प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल शनिवार को 70वें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस एवं देवउठनी एकादशी के अवसर पर अमरकंटक में आयोजित मां नर्मदा की महाआरती एवं दीपोत्सव पर्व को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री ने सभी नागरिकों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस एवं देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि

मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सभी पर बनी रहे।

मां नर्मदा की महाआरती आस्था की प्रतीक : कलेक्टर

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा कि दीपोत्सव कार्यक्रम एवं मां नर्मदा की महाआरती आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभव का प्रतीक है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से आग्रह किया कि वह आगे आकर नर्मदा तट पर इसी प्रकार की भव्य महाआरती के आयोजन में सहभागिता करें तथा उन्होंने सभी नागरिकों से अपील किया कि मां नर्मदा की महाआरती से आम लोग जुड़े।

51 हजार दीपों से जगमगाया नर्मदा घाट

70वें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस एवं देवउठनी एकादशी के अवसर पर अमरकंटक के मां नर्मदा नदी के उत्तर एवं दक्षिण तट पर 51 हजार दीपों का प्रज्वलन किया गया। दीपों की मनोहर रौशनी से पूरा नर्मदा घाट दिव्य, भव्य एवं अलौकिक आभा से आलोकित हो उठा। इस अवसर पर भगवान राम तथा उनका धनुष-बाण, मध्य प्रदेश का नक्शा और विविध आकर्षक रंगोलियों का सृजन कर घाट को विशेष रूप से सजाया गया। श्रद्धा, संस्कृति और सौंदर्य का संगम बना यह आयोजन जन-भागीदारी और नर्मदा आराधना की भावना को और सशक्त करने वाला सिद्ध हुआ।

अमरकंटक हुआ नर्मदामय

अमरकंटक में मां नर्मदा की महाआरती वैदिक स्वास्तिवाचन के साथ संपन्न हुई। आरती में कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल, कलेक्टर हर्षल पंचोली एवं पुजारियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा की आरती की। दीपों की रौशनी और मंत्रोच्चार से सम्पूर्ण अमरकंटक का वातावरण नर्मदामय और आध्यात्मिक हो उठा। मां नर्मदा की आरती में सभी नागरिकों ने सहभागिता कर भक्ति,श्रद्धा और सौहार्द का अनूठा संदेश दिया।